आ.क.वि.- 2 फार्म को भरने के लिए अनुदेश

ये अनुदेश इस विवरणी में ब्यौरों को भरने के लिए दिशानिदेश हैं । किसी संदेह के मामले में, कृपया आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली, 1962 के संगत उपबंधों का अवलोकन करें ।

1. कर निर्धारण वर्ष जिस पर यह विवरणी फार्म लागू है -

यह विवरणी फार्म केवल कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए लागू है, अर्थात यह वित्त वर्ष 2009-10 में अर्जित आय से संबंधित है ।

2. इस विवरणी फार्म का प्रयोग कौन कर सकता है

यह विवरणी फार्म ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा प्रयुक्त किया जाता है,जिसका कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कुल आय में निम्नलिखित शामिल है-

(क) वेतन/पेंशन से आय; या
(ख) गृह संपत्ति से आय; या
(ग) पूंजी अभिलाभ से आय; या
(घ) अन्य स्रोतों लॉटरी से जीत तथा घुड़दौड से आय समेत) से आय ।

इसके अलावा, जहां दंपत्ति नाबालिग बच्चा आदि जैसे किसी अन्य की आय को कर निर्धारिती की आय में शामिल किया जाना है, यह विवरण प्रपत्र वहां प्रयुक्त किया जा सकता है जहां ऐसी आय उपर्युक्त किसी श्रेणी के अंतर्गत आती है ।

3. इस विवरणी प्रपत्र का प्रयोग कौन नहीं कर सकता

इस विवरणी प्रपत्र का प्रयोग ऐसे व्यष्टि द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिसका कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कुल आय में व्यवसाय या पेशे से आय शामिल है ।

4. अनुबंध रहित विवरणी प्रपत्र

इस विवरणी प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज (टीडीएस प्रमाणपत्र समेत) संलग्न नहीं करना चाहिए । इस विवरणी प्रपत्र के साथ संलग्न ऐसे सभी दस्तावेजों को अलग करके विवरणी दायर करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा ।

5. इस प्रपत्र को भरने का तरीका

यह प्रपत्र नीचे लिखे तरीकों में से किसी भी तरीके से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है :-

(i) कागजी रूप में विवरणी को प्रस्तुत करके;
(ii) डिजिटल हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक तरीके से विवरणी प्रस्तुत करके;

(iii) इलेक्ट्रानिक तरीके से विवरणी में आंकड़े भेज करके तथा उसके उपरान्त प्रपत्र आ.क.वि.-V में विवरणी के प्रस्तुतीकरण का सत्यापन करके;

(iv) बारकोडेड कागजी विवरणी प्रस्तुत करके;

जहां प्रपत्र 5(iii) में उल्लिखित तरीके से प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसमें आपको प्रपत्र आ.क.वि.-V की दो प्रतियों को मुद्रित करने की आवश्यकता होती है । कर निर्धारिती द्वारा दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए तथा एक प्रति साधारण डाक से पोस्ट बैग नं.1, इलेक्ट्रानिक सिटी, कार्यालय बंगलुरू-560100(कर्नाटक) को भेजी जानी चाहिए । दूसरी प्रति कर निर्धारिती द्वारा उसके रिकार्ड के तौर पर अपने पास रखी जा सकती है ।

6. पावती भरना

जहां प्रपत्र 5 (i) अथवा 5 (iv) में उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसमें इस प्रपत्र के साथ संलग्न पावती पर्ची विधिवत रूप से भरी जानी चाहिए ।

7. इस प्रपत्र को भरने के लिए कोड

संगत कोडों के आधार पर किस धारा के तहत विवरणी भरी जा रही है इसका ब्यौरा प्रपत्र के 'भरने की स्थिति' शीर्ष में भरा जाना चाहिए । उन धाराओं के कोड जिनके अंतर्गत विवरणी दाखिल की जानी है, निम्नवत् हैं-

क्रम सं	विवरणी कैसे दाखिल की जाती है	कोड
i	धारा 139 के तहत नियत तिथि से पहले स्वैच्छिक रूप से	11
ii	धारा 139 के तहत नियत तिथि के उपरान्त स्वैच्छिक रूप से	12
iii	धारा 142 (1) के अन्तर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	13
iv	धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	14
V	धारा 153क/153ग के अन्तर्गत नोटिस के प्रत्युत्तर में	15

8. विवरणी दाखिल करने की बाध्यता

प्रत्येक व्यष्टि जिसकी कुल आय, आयकर अधिनियम के अध्याय VIए के तहत कटौतियां अनुमत करने से पूर्व उस अधिकतम राशि से अधिक है, जो आयकर के प्रभार्य नहीं है, अपनी आय की विवरणी दाखिल कने हेतु बाध्य है। इस विवरणी फार्म के मद 5 ("आय तथा कटौतियां) में अध्याय VIए के तहत कटौतियां उल्लिखित है । व्यष्टियों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में वह अधिकतम राशि जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, निम्नवत है:-

क्र.सं.	श्रेणी	राशि(रूपये

		में)
(i)	65 वर्ष (महिलाओं से भिन्न) से कम आयु वाले व्यष्टियों के मामले में	1,60,000
(ii)	65 वर्ष से कम आयु वाली महिलाओं के मामले में	1,90,000
(iii)	उन व्यष्टियों के मामले में जो वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु के हों ।	

9. इस प्रपत्र को भरने के लिए कोड

इस प्रपत्र के कुछ ब्यौरों को संगत कोडों के आधार पर भरा जाना है । ये निम्नवत है:-

(i) अनुसूची एआईआर में वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान आप द्वारा निष्पन्न निम्नलिखित लेनदेनों, यदि कोई हो, का ब्यौरा भरा जाएगा।(यदि कोई लेनदेन निष्पन्न न किया गया हो, तो कृपया इस मदमें संगत कॉलम को खाली छोड़ दें)।

क्र.सं.	कोड	लेनदेन का स्वरूप
1	001	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत आने वाली किसी बैंककारी कंपनी (जिसमें इस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित कोई बैंक या बैंककारी संस्था शामिल हैं) में आप द्वारा अनुरक्षित किसी बचत खाते में किसी वर्ष में कुल 10 लाख रूपया या इससे अधिक का नकद जमा
2	002	किसी वर्ष में क्रेडिट कार्ड के संबंध में बिल के लिए आप द्वारा किया गया दो लाख रूपया या इससे अधिक का भुगतान
3	003	म्युच्युल फंड की यूनिट खरीदने के लिए आप द्वारा किया गया दो लाख रूपये या इससे अधिक का भुगतान
4	004	किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बांड या डिबेंचर प्राप्त करन के लिए आप द्वारा किया गया पांच लाख रूपये या इससे अधिक का भुगतान
5	005	किसी कंपनी द्वारा जारी शेयर प्राप्त करन के लिए आप द्वारा किया गया एक लाख रूपये या इससे अधिक का भुगतान
6	006	30 लाख रूपए या इससे अधिक मूल्य की किसी अचल सम्पत्ति की आप द्वारा खरीद
7	007	30 लाख रूपए या इससे अधिक मूल्य की किसी अचल सम्पत्ति की आप द्वारा बिक्री

8	008	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड में निवेश के लिए किसी वर्ष में आप द्वारा 5 लाख रूपये या इससे अधिक राशि का किया गया भुगतान

(ii) अनुसूची एसआई में, धाराएं जो उनमें उल्लिखित आय के लिए कर की विशिष्ट दर निर्दिष्ट करती हैं, के लिए कोड नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	आय का स्वरूप	धारा	कर की दर	धारा का कोड
1	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के संचित अधिशेष पर कर	111	चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9(1) के अनुसरण में गणना की जाएगी	1
2	अल्पकालीन पूंजीगत अभिलाभ	111क	15	1क
3	दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ (अनुक्रमणन के साथ)	112	20	21
4	दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ (अनुक्रमणन के बिना)	112	10	22
5	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों से लाभांश, ब्याज और आय	115क (1)(क)	20	5क 1क
6	रायल्टी या तकनीकी सेवाओं से आय जहां करार 31-3-1961 से 31-3-1976 के बीच निष्पन्न किया गया हो, रायल्टी के मामले में 29-2-1964 से 31-3-1976 के बीच निष्पन्न किया गया हो तथा करार केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो	वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I का पैरा ई II	50	एफ ए
7	रायल्टी और तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1)(ख) यदि करार 31-5-1997 को या इससे पहले निष्पन्न किया गया हो	30	5क 1ख1
8	रायल्टी और तकनीकी सेवाओं से	115क (1)(ख)	20	5क

	आय	यदि करार 31-5-1997 को या इसके बाद परन्तु 1-6-2005 से पहले निष्पन्न किया गया हो		1ख2
9	रायल्टी और तकनीकी सेवाओं से आय	115क (1)(ख) यदि करार 1-6-2005 को या इसके बाद निष्पन्न किया गया हो	10	5क 1ख3
10	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय	115कख (1)(क)	10	5कख 1क
11	किसी अपतटीय निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ के रूप में आय	115कख (1)(ख)	10	5कख 1ख
12	विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड या जीडीआर से आय अथवा अनिवासी के मामले में उनके हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत अभिलाभ	115कग(1)	10	5कग
13	विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से आय अथवा निवासी के मामले में उनके हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत अभिलाभ	115कगक(1)	10	5कगक
14	जीवन बीमा व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ	115ख	12.5	5ख
15	लाटरी, पहेली, दौड़ जिसमें घुड़दौड़ भी शामिल है, ताश और किसी भी	115खख	30	5खख

	प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ या किसी भी स्वरूप की सट्टेबाजी से जीती गई राशि			
16	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों पर कर	115खखक	10	5खखक
17	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया या म्यूच्यूअल फंड की खुली इक्विटी उन्मुख निधि की यूनिटों से आय पर कर	115खखख	10	5खखख
18	बेनामी दान	115खखग	30	5खखग
19	निवेश आय	115ड.(क)	20	5ड.क
20	दीर्घकालीन पूजींगत अभिलाभ के रूप में आय	115ड.(ख)	10	5ड.ख
21	दोहरा कराधान करार			डीटीएए

10. कानून की योजना - प्रपत्र को भरने से पूर्व आपको निम्नलिखित को पढ़ने की सलाह दी जाती हैः

(1) कुल आय की गणना

(क) पूर्व वर्ष वह वित्त वर्ष (एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च) है जिसके दौरान उक्त आय अर्जित की गई है । कर-निर्धारण वर्ष पूर्व वर्ष के ठीक बाद आने वाला वित्त वर्ष है ।

(ख) कुल आय की गणना निम्नानुसार नीचे दिये गये क्रम में की जाएः

(i) आय की सभी मदों को निम्नलिखित आय शीर्षों में वर्गीकृत करें:

(क) वेतन; (ख) गृह संपत्ति से आय; (ग) पूंजीगत अभिलाभ, और (घ) अन्य स्रोतों से आय। (इनमें से एक या इससे अधिक शीर्षों के अंतर्गत कोई आय नहीं हो सकती है) ।

(ii) अनुसूचियों जिन्हें आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन संगणनाओं में आपकी मदद के लिए निर्मित किया गया है, में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग वर्तमान वर्ष (अर्थात पूर्व वर्ष) की कर योषय आय की गणना करें। ये सांविधिक प्रावधान इस बात का निर्णय करते हैं कि आपकी आय में क्या-क्या शामिल किया जाना है, व्यय या भत्ता के रूप में क्या-क्या और कितना दावा किया जा सकता है और व्यय/भत्ता के रूप में किसका दावा नहीं किया जा सकता है।

(iii) कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान वर्ष की शीर्ष-वार आय के विरूद्ध वर्तमान वर्ष की शीर्ष-वार क्षति (क्षतियों) का प्रतितुलन करें। इस प्रकार के प्रतितुलन के लिए अलग से अनुसूची दी गई है।

(iv) कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार पिछले कर-निर्धारण वर्ष (वर्षों) की अग्रनीत क्षति (क्षतियों) और/या भत्ता (भत्तों) का प्रतितुलन करें। इसके अलावा, ऐसी क्षति (क्षतियों) और/या भत्ता (भत्तों) की गणना करें जिनका भविष्य में प्रतितुलन किया जा सकता है और कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार जिन्हें अग्रनीत किया जाना है। इसके लिए अलग से अनुसूची दी गई है।

(v) उपर्युक्त (iv) के पश्चात उपलब्ध शीर्ष-वार अन्त्य परिणाम का जोड़ करें, इससे आपको सकल कुल आय प्राप्त होगी।

(vi) सकल कुल आय से कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आयकर अधिनियम के अध्याय-VIक में उल्लिखित कटौतियों को घटाएं । यह परिणाम कुल आय होगा । इसके अलावा, दर के प्रयोजनार्थ कृषि आय की गणना करें।

(2) कर प्रभार्य आय के संबंध में आयकर, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर और ब्याज की गणनाः-

(क) कुल आय पर संदेय आयकर की गणना करें। कुछ विशिष्ट मदों पर कर की विशिष्ट दरें लागू हैं। कर गणना की प्रक्रिया में दर के प्रयोजनार्थ यथा विहित कृषि आय शामिल करें।

(ख) संदेय कर जमा अधिभार पर यथा विहित माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर जोड़ें।

(ग) वर्ष के दौरान प्राप्त वेतन या दोहरे कराधान के एरियर या अग्रिम के कारण कानून द्वारा यथा विहित राहत (राहतों) का दावा करें और संदेय शेष कर की गणना करें।

(घ) संदेय कुल कर और ब्याज निकालने के लिए कानून द्वारा यथा विहित संदेय ब्याज जोड़ें।

(ङ) पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हो, जैसे स्रोत पर काटा गया कर, अग्रिम कर और स्वः निर्धारण कर की राशि घटाएं । परिणाम संदेय या प्रतिदेय होगा ।

(3) विवरणी दायर करने की बाध्यता-

(क) प्रत्येक व्यष्टि और अविभाजित हिन्दू परिवार को अपनी आय विवरणी प्रस्तुत करनी है यदि अध्याय-VI क (अर्थात यदि इस प्रपत्र के भाग-ख- टीआई की मद 9 में उल्लिखित उसकी सकल कुल आय) के अंतर्गत कटौती को अनुमत करने से पूर्व

उसकी कुल आय आयकर अप्रभार्य आय की अधिकतम राशि से अधिक हो [65 वर्ष से कम आयु के व्यष्टियों (महिलाओं से भिन्न) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में 1,60,000 रूपया, 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के मामले में 1,90,000 रूपया और ऐसे व्यष्टियों के मामले में 2,40,000 रूपया जिनकी आयु वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो]।

(ख) क्षति, यदि कोई हो, (इस फार्म के भाग ख-टीआई की मद 14) को तब तक अग्रनीत करने की अनुमति नहीं होगी जब तक विवरणी नियत तिथि को या इससे पहले दाखिल न की जाए।

11. प्रपत्र की योजनाः-

इस फार्म की योजना इसके मूल प्रपत्र में यथा रेखांकित कानून की योजना का अनुसरण करती है। फार्म को दो भागों में बांटा गया है। इसमें 15 कार्य तालिकाएं(अनुसूचियों के रूप में उल्लिखित) भी हैं। इन भागों और अनुसूचियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(i) पहला भाग अर्थात भाग क विवरणी के पहले पृष्ठ के आधे से अधिक भाग में फैला है। इसके तहत मुवयतः पहचान और अन्य डाटा से संबंधित सामान्य सूचना मांगी गई है।

(ii) दूसरा भाग अर्थात पृष्ठ 1 और 2 पर भाग ख कर प्रभार्य आय के संबंध में कुल आय और कर संगणना की रूपरेखा के संबंध में है।

(iii) पृष्ठ 2 पर, फार्म का डाटा भेजने का ब्यौरा देने के लिए जगह है यदि फार्म अनुदेश सं.5(iii) में उल्लिखित ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

(iv) भाग ख के बाद, पृष्ठ 2 पर सांविधिक सत्यापन के लिए जगह है।

(v) पृष्ठ 3 के शीर्ष भाग पर, भरे जाने वाले ब्यौरे है यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है।

(vi) पृष्ठ 3 से 6 पर, 15 अनुसूचियां हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(क) अनुसूची-एसः वेतन शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना,

(ख) अनुसूची-एचपीः गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना,

(ग) अनुसूची-सीजीः पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना

(घ) अनुसूची-ओएसः अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना

(ङ) अनुसूची-सीवाईएलएः वर्तमान वर्ष की क्षतियों के प्रतितुलन के बाद आय का विवरण

(च) अनुसूची-बीएफएलएः पिछले वर्षो से अग्रनीत समाहित न की गई क्षति के प्रतितुलन के बाद आय का विवरण

(छ) अनुसूची-सीएफएलः भावी वर्षों में अग्रनीत की जाने वाली क्षतियों का विवरण

(ज) अनुसूची-वीआईएः अध्याय VI क के अंतर्गत कटौतियों (कुल आय से) का विवरण

(झ) अनूसूची-एसपीआईःअनुसूची एचपी, बीपी, सीजी और ओएस में कर निर्धारिती की आय में शामिल होने वाली पति/पत्नी/अव्यस्क बच्चा/पत्नी के पुत्र या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के संग को उत्पन्न आय का विवरण

(ञ) अनुसूची-एसआईः विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय का विवरण

(ट) अनुसूची-ईआईः कुल आय में शामिल न की गई आय (छूट प्राप्त आय) का विवरण

(ठ) अनुसूची-एआईआरः ऐसे लेन-देनों के संबंध में सूचना जिसे धारा 285 खक के अंतर्गत वार्षिक सूचना विवरणी के मापयम से सूचित किया गया है

(ड) अनुसूची-आईटीः अग्रिम कर और स्वःनिर्धारण कर के भुगतान का विवरण

(ढ) अनुसूची-टीडीएस1: वेतन पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण

(ण) अनुसूची-टीडीएस2: वेतन से भिन्न आय पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण

12. भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए दिशानिर्देश

1. **सामान्य**

(i) सभी मदें उसमें उल्लिखित तरीके में भरी जानी चाहिएइ अन्यथा विवरणी दोषपूर्ण करार दी जा सकती है अथवा यहां तक कि अमान्य की जा सकती है ।

(ii) यदि कोई अनुसूची लागू नहीं है, तो पूरी अनुसूची पर " ...ला ना .." लिखे।

(iii) यदि कोई मद लागू नहीं है तो मद के सामने "ला ना" लिखें ।

(iv) शून्य आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए "शून्य" लिखें ।

(v) ऋणात्मक आंकड़े/क्षति के आंकड़े के लिए ऐसे आंक़डे के पहले " -" लिखें।

(vi) सभी आंकड़ों को एक रूपए के निकटतम तक पूर्ण किया जाए । तथापि, कुल आय/क्षति एवं संदेय कर के आंकड़ों को दस रूपए के निकटतम गुणक तक अंतिम रूप से पूर्ण किया जाए ।

(2) भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए क्रम

इन प्रपत्र को भरने के लिए आपको निम्नलिखित क्रम का पालन करने की सलाह दी जाती हैः-

(i) भाग क- पृष्ठ 1 पर सामान्य

(ii) अनुसूचियां

(iii) भाग ख- टीआई और भाग ख- टी टीआई

(iv) सत्यापन

(v) यदि विवरणी टीआरपी द्वारा तैयार की गई है तो टीआरपी से संबंधित ब्यौरा और उसका प्रति हस्ताक्षर।

13. भाग - सामान्य

इस प्रपत्र के भाग- सामान्य में भरे जाने वाले सभी ब्यौरे स्वतः स्पष्ट हैं । तथापि, अधोलिखित कुछ ब्यौरों को नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भरा जाना है:-

(क) ई-मेल पता तथा दूरभाष संख्या देना वैकल्पिक हैं:-

(ख) व्यष्टि के मामले में "नियोजक श्रेणी" के लिए सरकारी श्रेणी में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल होंगे । सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां शामिल होंगी ।

(ग) धाराओं जिनके अधीन विवरणी दाखिल की जाती है, के लिए कोड अनुदेश संख्या 9 (i) में दिए गए कोड के अनुसार भरा जाए ।

(घ) यदि आप द्वारा विवरणी प्रतिनिधि की हैसियत से भरी जा रही है तो कृपया प्रतिनिधि कर निर्धारिती का पैन मद में अपना पैन नंबर भरना न भूलें। यदि प्रतिनिधित्व किए जा रहे व्यक्ति का पैन नंबर. अज्ञात हो या उसने भारत में पैन नं. लिया हो, तो विवरणी की प्रथम पंक्ति में पैन के मद को खाली छोड़ा जा सकता है। कृपया नोट करें कि इस फार्म की पहली पंक्ति में उस व्यक्ति का नाम भरा जाए जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

14. अनुसूचियां

(क) अनुसूची- एस- वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता होने की स्थिति में कृपया आखिरी नियोक्ता का ब्यौरा दें। इसके अलावा यदि वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता एक साथ हों तो कृपया उस नियोक्ता का ब्यौरा भरें जिससे आपको ज्यादा वेतन मिला है। नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) (फार्म संख्या 16) में दिए गए वेतन का ब्यौरा भरें। तथापि, यदि फार्म संख्या 16 में आय की ठीक-ठीक गणना न की गई हो तो कृपया सही गणना करके उसे इस मद में भरें। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता होने की स्थिति में कृपया इस मद में विभिन्न नियोक्ताओं से कुल वेतन से संबंधित ब्यौरा भरें । वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में अपनी वेतन आय में शामिल करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना सं. का.आ.3245(अ)दिनांक 18.12.2009 के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा परिलाभों का मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

(ख) अनुसूची- एचपी: यदि कर निर्धारिती द्वारा एकल गृह सम्पत्ति धारित है जो स्वधारित है तथा गृह सम्पत्ति के लिए लिए गए ऋण पर संदत्त ब्याज का कटौती के रूप में दावा किया जाएगा । इस अनुसूची को भरे जाने की आवश्यकता है। यदि दो या दो से अधिक गृह संपत्तियां हों तो इस अनुसूची के प्रारूप में अलग पत्रक में शेष संपत्तियों का ब्यौरा भरें और इस विवरणी के साथ इस पत्रक को नत्थी करें। सभी संपत्तियों का परिणाम इस अनुसूची की अंतिम पंक्ति में भरा जाना है। निम्नलिखित बातों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता हैः

(i) वार्षिक किराया योग्य मूल्य का आशय उस राशि से है जिसके लिए सांकेतिक आधार पर वर्ष-दर-वर्ष तर्कसंगत ढंग से गृह संपत्ति को किराए पर देने की अपेक्षा की जा सकती है। स्थानीय प्राधिकरण को संदत्त करों के लिए कटौती तभी उपलब्ध होगी जब संपत्ति किसी किराएदार के अधिवास में होगी और यह कर कर-निर्धारिती द्वारा न कि किराएदार द्वारा वहन किया गया हो और वर्ष के दौरान वस्तुतः भुगतान किया गया हो।

(ii) किराए पर दी गई किसी संपत्ति के मामले में वसूले न गए किराए के लिए कटौती उपलब्ध है। यदि इस तरह की कटौती पिछले किसी कर-निर्धारण वर्ष में ली गई हो और वसूला न गया यह किराया उक्त वर्ष में प्राप्त हुआ हो तो इस प्रकार प्राप्त वसूल न किया गया किराया इस अनुसूची की मद 3 क में दर्शाया जाएगा।

(iii) इस अनुसूची की मद 3ख भूतलक्षी प्रभाव से किराया में बढ़ोत्तरी से संबंधित है। यहाँ गृह संपत्ति पर प्राप्त पिछले वर्षों का अोंतरिक्त किराया दर्शाएं और इस प्रकार प्राप्त बकाया किराया के 30 प्रतिशत की दर से कटौती का दावा करें।

(ग) **अनुसूची- सीजीः**

(i) यदि एक से अधिक अल्पकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया हो तो सभी परिसंपत्तियों की संयुक्त गणना करें। इसी तरह यदि एक से अधिक दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया गया हो तो सभी परिसंपत्तियों की संयुक्त गणना करें।

(ii) यदि जरूरत हो तो इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित लागत स्फीति सूचकांक के आधार पर, दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ की गणना करने के लिए, अधिग्रहण की लागत और सुधार की लागत को अनुक्रमणित किया जा सकता है।

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक	क्रम संख्या	वित्त वर्ष	लागत स्फीति सूचकांक

1.	1981-82	100	14.	1994-95	259
2.	1982-83	109	15.	1995-96	281
3.	1983-84	116	16.	1996-97	305
4.	1984-85	125	17.	1997-98	331
5.	1985-86	133	18.	1998-99	351
6.	1986-87	140	19.	1999-00	389
7.	1987-88	150	20.	2000-01	406
8.	1988-89	161	21.	2001-02	426
9.	1989-90	172	22.	2002-03	447
10.	1990-91	182	23.	2003-04	463
11.	1991-92	199	24.	2004-05	480
12.	1992-93	223	25.	2005-06	497
13.	1993-94	244	26.	2006-07	519
			27.	2007-08	551
			28.	2008-09	582
			29	2009-10	अधिसूचित किया जाना है ।

(iii) इस अनुसूची में उल्लिखित धारा 54/54ख/54घ/54ड.ग/54च के अंतर्गत कतिपय शर्त्तों की पूर्ति के अधीन पूंजीगत अभिलाभ पर छूट का प्रावधान है। इन धाराओं में से कुछेक के अंतर्गत छूट केवल दीर्घकालीन पूंजीगत अभिलाभ के संबंध में उपलब्ध है। इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप कानून के प्रावधानों के अनुसरण में इन धाराओं में से किसी के लाभ का दावा ठीक तरह से करें।

(iv) इस अनुसूची की मद-ग के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ (मद-क4+ ख5)के योग की गणना की जाती है। कृपया नोट करें कि यदि दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ के संबंध में मद ख5 में अधिशेष ऋणात्मक हो तो इसका अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ के विरूद्ध प्रतितुलन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ख 5 के आंकड़े प्रविष्ट किए जाएंगे और फिर मद ग में मद क4 के आंकड़े ही प्रविष्ट किए जाएंगे।

(घ) **अनुसूची- ओएस**

i. मद-1क और 1ख के सामने लाभांश और ब्याज जिसे छूट प्राप्त न हो, के रूप में सकल आय का ब्यौरा भरें।

ii. मद-1ग के सामने किराये पर दिए गए मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर से सकल आय तथा उक्त मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर को किराये पर देने के लिए अपरिहार्य रूप से भवन को किराये पर देना अनिवार्य हो तो उससे आय, यदि कारोबार या पेशा के लाभ एवं अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत यह आयकर प्रभार्य न हो, दर्शाएं

iii. घुड़दौड़ के अश्वों के स्वामित्व और अनुरक्षण से आय को अलग से क्षति के रूप में संगणित किया जाएगा तथा इसे अन्य स्रोतों से आय के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है और इसे परवर्ती वर्षों में इसी तरह की आय के विरूद्ध प्रतितुलन के लिए अग्रनीत किया जा सकता है।

iv. लाटरी, पहेली, घुड़दौड़ आदि की जीत से प्राप्त होने वाली राशि पर कर की विशेष दरें लगती हैं अतएव एक अलग मद उपलब्ध कराई गई है तथा इनसे प्राप्त आय को अन्य स्रोत से प्राप्त आय शीर्ष के अन्तर्गत उद्भूत होने वाली क्षतियों के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता ।

v. इस अनुसूची की मद-5 में अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अंतर्गत कर-प्रभार्य कुल आय की गणना की जाती है (मद-3+ मद+4ग)। यदि मद 4ग में बकाया जो घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रख रखाव को दर्शाता है, एक क्षति है, तो कृपया शून्य की प्रविष्टि करें एवं मद 3 का योग प्रविष्ट करें।

(ङ) अनुसूची - एसपीआई

i. पति/पत्नी, अवयस्क बच्चा आदि की आय का ब्यौरा भरें, यदि यह आयकर अधिनियम के अध्याय-v के अनुसरण में आपकी आय में शामिल किया जाना हो।

ii. इस अनुसूची में प्रविष्ट की जाने वाली आय संबंधित शीर्ष में शामिल की जानी है।

iii. धारा 10(32) के अंतर्गत जोड़ के प्रयोजनार्थ अवयस्क की आय के संबंध में 1500रू0 तक की छूट का प्रावधान है। इसलिए संबंधित शीर्ष में अवयस्क की आय जोड़ते समय अवयस्क की आय से 1500रू0 निकाल दें। तथापि यदि अवयस्क की आय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जोड़ा जाना हो तो कुल बहिष्करण 1500रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) अनुसूची- सीवाईएलए

i. संगत पंक्तियों में शीर्षवार कालम-1 में वर्तमान वर्ष की सिर्फ धनात्मक आय का उल्लेख करें।

ii. 'समायोजित की जाने वाली क्षति' के विपरीत प्रथम पंक्ति में गृह सम्पत्ति और अन्य स्रोतों (घुड़दौड़ से क्षति से भिन्न) से वर्तमान वर्ष की कुल क्षति (क्षतियों), यदि कोई हो, का उल्लेख करें। इन क्षतियों का धारा 71 के प्रावधानों के अनुसरण में अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरूद्ध प्रतितुलन किया जाना है। संबंधित शीर्षों की आय के विरूद्ध प्रतितुलन की गई राशि संगत पंक्तियों में कालम-2 और 3 में प्रविष्ट की जानी है।

iii. संगत पंक्तियों में शीर्षवार कालम-4 में उपर्युक्त अंतराशीर्ष प्रतितुलनों के अंत्य परिणाम का उल्लेख करें।

iv. कालम-2 एवं कालम-3 की प्रतितुलन की गई क्षति का योग पंक्ति vi में प्रविष्ट किया जाना है।

v. प्रतितुलन के लिए शेष क्षतियां पंक्ति vii में प्रविष्ट की जानी हैं।

(छ) **अनुसूची- बीएफएलए**

i. अनुसूची सीवाईएलए में कालम-1 में संगत पंक्तियों में शीर्षवार चालू वर्ष की सिर्फ धनात्मक आय (क्षति के प्रतितुलन के बाद) का उल्लेख करें।

ii. शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत जहां किसी भी क्षति को अग्रणीत नहीं किया जा सकता को छोड़कर अग्रणीत क्षतियों की राशि जिसका प्रतितुलन किया जा सकता है, संबंधित पंक्तियों में कालम-2 में प्रविष्ट की जानी हैं।

iii. प्रतितुलन का अंत्य परिणाम कालम-3 में संबंधित शीर्षों में प्रविष्ट किया जाएगा। कालम-3 का योग पंक्ति viii में प्रविष्ट किया जाएगा जो सकल_कुल_आय_की राशि होगी।

iv. वर्ष क दौरान प्रतितुलन की गई अग्रनीत क्षतियों की कुल राशि पंक्ति vi के कालम-2 में प्रविष्ट की जाएगी ।

(ज) **अनुसूची- सीएफएल**

i. इस अनुसूची में पिछले वर्षों से अग्रनीत, वर्ष के दौरान प्रतितुलन की गई और भावी वर्षों की आय के विरूद्ध प्रतितुलन के लिए अग्रनीत की जाने वाली क्षतियों का सार प्रविष्ट करना होता है।

ii. "गृह संपत्ति" शीर्ष के तहत क्षति, अल्पकालीन पूंजीगत क्षति और दीर्घकालीन पूंजीगत क्षति, अन्य स्रोतों (घुड़दौड़ से क्षति से भिन्न) से क्षति को 8 वर्ष तक अग्रनीत करने की अनुमति है। तथापि, घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से क्षति को सिर्फ 4 कर-निर्धारण वर्षों के लिए अग्रनीत किया जा सकता है।

(झ) **अनुसूची- वीआईए**

अनुमत कुल कटौतियां सकल कुल आय की राशि तक सीमित हैं। अनुमत कटौतियों का ब्यौरा जानने के लिए कृपया अध्याय viक के प्रावधानों का अवलोकन करें। कोई कारोबार या पेशा न करने वाले व्यष्टियों/अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए उपलब्ध कटौतियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(i)धारा 80 ग (इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं - जीवन बीमा के लिए संदत्त या जमा राशि, सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान, किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में कर निधारिती द्वारा

अंशदान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, शिक्षण शुल्कों के लिए भुगतान, आवासीय मकान की खरीद या निर्माण के लिए भुगतान/पुनर्भुगतान तथा कई अन्य निवेश) (पूरी सूची के लिए, कृपया आयकर अधिनियम की धारा 80 ग देखें) (कृपया नोट करें कि जैसा कि धारा 80 ग ग ड. में प्रावधान है, धारा 80 ग, 80 ग ग ग और 80 ग ग घ के अंतर्गत कटौती की कुल राशि एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी)

(ii) धारा 80 ग ग ग (कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती)

(iii) धारा 80 ग ग घ (केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती)

(iv) धारा 80 घ (चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती)

(v) धारा 80 घ घ (आश्रित जो विकलांग हो, का चिकित्सा उपचार सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती)

(vi) धारा 80 घ घ ख (चिकित्सा उपचार, आदि के संबंध में कटौती)

(vii) धारा 80 ड. (उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती)

(viii) धारा 80 छ (कतिपय निधियों, धर्मस्व संस्थॉओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती)

(ix) धारा 80 छछ (संदत्त किराया के संबंध में कटौती)

(x) धारा 80 छछक (वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के संबंध में कटौती)

(xi) धारा 80 छछग (किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती)

(xii) धारा 80 आरआरबी (पेटेंटों पर रॉयल्टी के संबंध मे कटौती)

(xiii) धारा 80त (विकलांग व्यक्तियों के मामले में कटौती)

(ञ) अनुसूची- एसआई

अनुसूची-सीजी और अनुसूची ओएस में शामिल आय का उल्लेख करें जिस पर विशेष दरों से कर लगना है। संगत धारा तथा विशेष दरों के कोड अनुदेश सं.9(iii) में दिये गये हैं।

(ट) अनुसूची- ईआई

(i) कृषि आय, ब्याज, लाभांश आदि जैसी आय का ब्यौरा दें जिसे कर से छूट प्राप्त है।

(ii) ब्यौरे नकद आधार पर भरे जा सकते हैं जब तक कि उद्ग्रहण आधार पर उन्हें घोषित करने का कोई प्रावधान/आवश्यकता न हो।

(ठ) अनुसूची- एआईआर

इस अनुसूची में, कृपया अनुदेश संख्या 9(ii) के अनुसार ब्यौरे भरें।

(ड) **अनुसूची-आईटी**

i. इस अनुसूची में अग्रिम आयकर और स्व-निर्धारण पर आयकर के भुगतान का ब्यौरा भरें।

ii. पावती पर्ची से बैंक की शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकीय), जमा करने की तिथि, चालान क्रमांक और संदत्त राशि का ब्यौरा भरा जाना चाहिए।

(ढ) **अनुसूची- टीडीएस1 और टीडीएस2**

i. इन अनुसूचियों में कटौतीकर्ता (कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्रों (फार्म 16 या फार्म 16क) के आधार पर काटे गए कर का ब्यौरा भरें।

ii. प्रत्येक प्रमाण पत्र का ब्यौरा पंक्तियों में अलग-अलग भरें। यदि इन अनुसूचियों में उपलब्ध पंक्तियां पर्याप्त न हों तो कृपया इसी प्रारूप में तालिका संलषन करें।

iii. कृपया नोट करें कि विवरणी फार्म के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र नत्थी नहीं करना है।

15. **भाग ख - टीआई - कुल आय की गणना**

i. इस भाग में अनुसूची सीएफएलए और अनुसूची बीएफएलए में प्रतितुलन की गई और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत गणना की गई आय का सार प्रविष्ट करना है।

ii. अनुसूचियों के आधार पर भरी जाने वाली प्रत्येक प्रविष्टि प्रतिसंदर्भित की गई है तथा इसलिए किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है ।

16. **भाग ख - टीआई - कुल आय पर कर देयता की गणना**

(क) मद 1क में लागू दर पर गणना की जाने वाली सकल कर देयता का ब्यौरा भरें। कर देयता की गणना नीचे दी गई दरों से की जानी हैः

(i) व्यष्टियों (ऐसे महिलाओं तथा व्यष्टियों से भिन्न जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में-

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
1,60,000रू. तक	शून्य
1,60,001 3,00,000रू. के बीच	1,60,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. से 5,00,000रू. के बीच	14,000+ 3,00,000रू. से अधिक आय
5,00,000रू. से अधिक	54,000+ 5,00,000रू. से अधिक आय

(ii) महिलाओं (ऐसी महिलाओं से भिन्न जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-**10** के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में-

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
1,90,000रू. तक	शून्य
1,90,001रू. से 3,00,000रू. के बीच	1,90,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. से 5,00,000रू. के बीच	11,000+ 3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	51,000+ 5,00,000रू. से अधिक आय का 30%

(iii) ऐसे व्यष्टियों के मामले में जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो-

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
2,40,000रू. तक	शून्य
2,40,001रू. से 3,00,000रू. के बीच	2,40,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू.5,00,000रू. के बीच	60,00+ 3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	46,500+रूपए 5,00,000रूपए से अधिक का 30% %

(ख) मद सं. 3 में, 3% की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर की गणना करें [मद सं.1ग + मद सं. 2]

(ग) मद सं. 5क में वर्ष के दौरान प्राप्त वेतन के एरियर या अग्रिम के संबंध में धारा 89 के अंतर्गत अनुमत राहत, यदि कोई हो, का दावा करें।

(घ) मद सं. 9ख में, कृपया आय के संबंध में नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा जारी फार्म 16 तथा ब्याज आय के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी फार्म 16क के अनुसरण में ब्यौरा भरें ।

(ङ) मद सं. 14- कृपया बैंक का एम आई सी आर कोड भरें यदि आय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ई सी एस) के मापयम से प्रतिदाय प्राप्त करना चाहिते हैं । तथापि, सभी मामलों में ई सी एस के मापयम से प्रतिदाय जारी करना सम्भव नहीं है क्योंकि ई सी एस सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है ।

17. **सत्यापन**

(क) यदि विवरणी कागजी प्रपत्र में या डिजीटल हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक रूप में या बारकोडेड प्रारूप में प्रस्तुत करनी है तो कृपया सत्यापन में अपेक्षित सूचना भरें। जो लागू न हों उसे काट दें। कृपया सुनिश्चित करें कि विवरणी जमा करने से पूर्व सत्यापन पर हस्ताक्षर हो। विवरणी पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम लिखें।

(ख) यदि अनुदेश सं. 5(iii) में उल्लिखित ढंग से इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करनी हो तो कृपया सत्यापन फार्म (फार्म आईटीआर-v) भरें।

(ग) कृपया नोट करें कि विवरणी या संलग्न अनुसूचियों में गलत विवरण देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोजन का पात्र होगा तथा दोष सिद्ध होने पर उस धारा के अंतर्गत उस पर कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया जा सकता है।

18. **कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) के संबंध में ब्यौरा**

(क) यह विवरणी 28 नवम्बर, 2006 की कर विवरणी तैयारकर्ता योजना के अनुसरण में किसी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी आर पी) द्वारा भी तैयार की जा सकती है ।

(ख) यदि विवरणी उसके द्वारा तैयार की गई है, तो उसके द्वारा सत्यापन के नीचे मद सं. 16 में संगत ब्यौरे भरे जाएं और उक्त मद में उपलब्ध स्थान पर विवरणी उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाए ।

(ग) कर विवरणी तैयारकर्ता करदाता से अधिकतम 250/-रू. की फीस लेने के लिए हकदार है । कर विवरणी तैयारकर्ता निम्नलिखित तीन वर्षों के लिए सरकार से निम्नानुसार प्रतिपूर्ति का भी हकदार है :-

(i) पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष (पहला पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय कर निर्धारण वर्ष से है यदि कम से कम तीन कर निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत न की गई हो) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 3%

(ii) दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (दूसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 2%

(iii) तीसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (तीसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 1%

(घ) इन तीन पात्र कर निर्धारण वर्षों के लिए, टी आर पी करदाता से उतनी राशि शुल्क के रूप में प्राप्त करने का पात्र होगा जितनी राशि सरकार से उसे प्राप्य प्रतिपूर्ति की राशि 250रू. से अधिक होगी ।

....